

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2627]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 25, 2013/अग्रहायण 4, 1935

No. 2627]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 25, 2013/AGRAHAYANA 4, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2013

का.आ. 3468(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तराखण्ड राज्य के चम्पावत जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125 सितारगंज—टनकपुर (जिसे नया नाम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (मलौत—पिथौरागढ़) दिया गया है) के 38.000 कि.मी. से 52.150 कि.मी. तक के भूखण्ड (सितारगंज—टनकपुर सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् तहसीलदार पूर्णागिरी (टनकपुर), जिला चम्पावत, उत्तराखण्ड, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

उत्तराखण्ड राज्य के चम्पावत जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125 (सितारगंज—टनकपुर सेक्शन) (जिसे नया नाम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 दिया गया है) के 38.000 कि.मी. से 52.150 कि.मी. तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चम्पावत	पूर्णागिरी / टनकपुर	(1) पचपकरिया	48	निजी	कृषि	0.0740
				योग			0.0740
			(2) बमनपुरी	52	निजी	कृषि	0.1214
				योग			0.1214
			(3) चन्दनी	80	निजी	कृषि	0.0093
				81	निजी / सरकारी	कृषि / गैर कृषि	0.0434
				81 / 327	निजी	कृषि	0.0038
				82	निजी	कृषि	0.0549
				87	निजी	कृषि	0.0170
				315	निजी	कृषि	0.0741
				316	सरकारी	गैर कृषि	0.0278
				योग			0.2303
			(4) भजनपुर	103	निजी	कृषि	0.0765
				योग			0.0765
			(5) मनिहार — गोठ	9	निजी	कृषि	0.1054
				70	निजी	कृषि	0.0379
				71	निजी	कृषि	0.0102
				73	निजी	कृषि	0.0498
				योग			0.2033
			(6) टनकपुर	22	निजी	कृषि	0.0090
				योग			0.0090
				सम्पूर्ण योग			0.7145

[फा. सं. भाराराप्रा / 2013—भू.अ. / अधि. / प.का.इ.—रुद्रपुर]
माया प्रकाश, उप सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd November, 2013

S.O. 3468(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two-lanning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.-125 renamed as NH-9 (Malaut-Pithoragarh) on the stretch of land from km. 38.000 to km. 52.150 (Sitarganj-Tanakpur Section) in the district of Champawat in the State of Uttarakhand hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Tahsildar Purnagiri (Tanakpur) District Champawat, Uttarakhand in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 3C of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Breif description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 38.000 from Km. 52.150 of National Highway No. 125 (Sitarganj –Tanakpur Section) (renamed as NH-9) in Champawat District in the state of Uttarakhand

Serial Number	Name of the District	Name of the Taluk	Name of the Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in hectare) square metres
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Champawat	Purnagiri/Tanakpur	(1) Pachpakaria	48	Private	Agriculture	0.0740
				Total			0.0740
			(2) Bamanpuri	52	Private	Agriculture	0.1214
				Total			0.1214
			(3) Chandani	80	Private	Agriculture	0.0093
				81	Private/ Government	Agriculture/ Non Agriculture	0.0434
				81/327	Private	Agriculture	0.0038
				82	Private	Agriculture	0.0549
				87	Private	Agriculture	0.0170
				315	Private	Agriculture	0.0741
				316	Government	Non Agriculture	0.0278
				Total			0.2303

			(4) Bhajanpura	103	Private	Agriculture	0.0765
				Total			0.0765
			(5) Manihar Goth	9	Private	Agriculture	0.1054
				70	Private	Agriculture	0.0379
				71	Private	Agriculture	0.0102
				73	Private	Agriculture	0.0498
				Total			0.2033
			(6) Tanakpur	22	Private	Agriculture	0.0090
				Total			0.0090
				Sub Total			0.7145

[F. No. NHAI/2013-LA/PIU-Rudrapur]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.